न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/07/2019	01–04–2019	11–09–2019

01– जगदीश पुत्र स्व0 श्री दयाल सिंह उर्फ दयालराम पौत्र महंगाराम जाति राजपूत निवासी ग्राम अलावलपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

02– श्रीमती पारोबाई बेवा दयालराम उर्फ दयालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अलावलपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

–अपीलांट

बनाम

01– तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राज0।

–रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दि0 01.08.2002 इंतकाल सं. 666 वाके ग्राम अलावलपुर, तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

उपस्थितः–

01–श्री के के रायजादा –वकील अपीलांट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 01.08.2002 जिसके द्वारा इंतकाल सं. 666 वाके ग्राम अलावलपुर तहसील रामगढ़ को बैजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट सं. 1 स्व0 श्री महंगाराम जाति राजपूत का पौत्र है व अपीलांट सं0 1 स्व0 श्री दयालसिंह उर्फ दयालराम का पुत्र है। स्व0 श्री दयालराम उर्फ दयाल सिंह स्व0 महंगाराम का पुत्र था। अपीलांट सं. 2 स्व0 श्री दयाल सिंह उर्फ दयालराम की पत्नी है। आराजी खसरा नम्बर 337/0.10 है0, 712/0.05 है0, 1210/0.44 है0, 1212/0.82 है., 726/1.111 है0, 723/3बीघा 5 बिस्वा, 451/0.04 है0, 453/4 बिस्वा, 224/0.03 बिस्वा, 226/0.1 बिस्वा, 221/0.3 बिस्वा, 220/.3बिस्वा वाके ग्राम अलावलपुर में स्थित है। जो अपीलांट के दादा महंगाराम की कब्जे काश्त की आराजी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ में दि. 26.06.2002 को मुकदमा नं0 1/153 में दिये गये आदेश के मुताबिक महंगाराम की उक्त आराजी का अपीलांट के पक्ष में खातेदार काश्तकार घोषित किया गया, के आधार पर इंतकाल दर्ज किये जाने योग्य था। लेकिन तहसीलदार रामगढ द्वारा मुताबिक अपीलांट के पक्ष में इंतकाल दर्ज नहीं किया। उपखण्ड अधिकारी रामगढ के डिक्री दि. 29.06.2002 के मुताबिक आदेश इंतकाल दर्ज करना चाहिए था। इंतकाल सं0 666 को अमल दरामद किया गया जिसमें महंगाराम के नाम जो खसरा नम्बर अपीलांट के नाम दर्ज करने थे, वे भी दर्ज नहीं किये। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय में महंगाराम के नाम दर्ज खसरा नम्बर का इन्द्राज नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी गलती की है। दि0 07.09.2018 को अधिवक्ता से राय लेने पर न्यायालय श्रीमान में –

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

उक्त इंतकाल के विरूद्ध अपील दायर की गयी। जानकारी होने की दि. 29.03.2019 से अपील बिना देरी के पेश की गई है। किन्तु देरी के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र पृथक से पेश किया गया है। इंतकाल सं0 666 मुताबिक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के आदेश दि. 29.06.2002 के नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर मुताबिक निर्णय उपखण्ड अधिकारी रामगढ दि0 29.06.2002 के दर्ज व तस्दीक करने के आदेश फरमाये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न इंतकाल सं. 666 दिनांक 01.08.2002 के अवलोकन किया तथा उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दि. 29.06.2002 का अवलोकन किया। विवादित इंतकाल मुताबिक निर्णय दर्ज नहीं किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर अपील प्रथमदृष्टया (Prima facie) न्यायहित में उचित प्रतीत होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल सं0 666 दिनांक 01.08.2002 निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय व डिक्री दि0 29.06.2002 की अनुपालना में प्रचलित विधि के प्रावधानों में वर्णित नियमों के परिपेक्ष में परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार रामगढ़ को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)